संख्या-55/2018/04/26-3-2018-455मंत्री/2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 20 मार्च, 2018

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक जनजाति विकास के पत्र संख्या-332/82/ज.जा.वि./निर्माण/2017-18 दिनांक-01.01.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रप्रायोजित योजनायें-0108-जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत निर्माण कार्य (के0100/रा.0/के0)-24-वृहत निर्माण के मानक मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर बलरामपुर, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर, सिरसिया श्रावास्ती, बिछिया बहराईच एवं नौतनवा महराजगंज में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण हेतु प्रति विद्यालय आंकलित लागत (तालिकानुसार) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त प्रति विद्यालय रू0-150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की दर से 05 विद्यालय हेतु (तालिकानुसार) कुल रू0-750.00 लाख (रू0 सात करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रम संख्या	निर्माण किये जाने वाली संस्था का नाम	गोरखपुर इकाई, यू0पी0सी0एल0डी0 एफ0, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	प्रति विद्यालय स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि (भारत सरकार के अनुमति के अनुसार) (रू0 लाख में)	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	पं0दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति	295.04	150.00	150.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विद्यालय, बालापुर, बलरामपुर			
2	पं0दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर	422.71	150.00	150.00
3	पं0दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सिरसिया, श्रावस्ती	334.95	150.00	150.00
4	पं0दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बिछिया, बहराईच	295.10	150.00	150.00
5	पं0दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नौतनवा, महराजगंज	295.10	150.00	150.00
	कुल योगः-	**1642.90**	**750.00**	**750.00**

(1)-निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विभाग सहकारी संघ लिमिटेड से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। उक्त कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विभाग सहकारी संघ लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0ए0टू0टी0एस0एस0 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(4)-उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी। प्रायोजनान्तगत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)-कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तायुक्त कराये जायेगे।

(7)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ शासन को उपलब्ध कराने पर ही द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि की स्वीकृति यथासमय निर्गत की जायेगी।

(8)-धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रप्रायोजित योजनायें-0108-जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायतान्तर्गत निर्माण कार्य (के0100/रा.0/के0)-24वृहत निर्माण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक-03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृसं0-55/2018/04(1)/26-3-2018 तदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5 जिलाधिकारी, बलरामपुर, श्रावास्ती, बहराईच महराजगंज।
6 जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलरामपुर, श्रावास्ती, बहराईच महराजगंज।
7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 उ0प्र0 लखनऊ।
10 निदेशक, एन0आई0सी0।
11 गार्डफाइल

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in